न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/578

मिसल नम्बर– 135 / 2022

1.चन्द्रसेन पुत्र श्री कल्याण जी जाति मीणा उम्र 67 वर्ष निवासी 1504 हाड़ौती विध्या मन्दिर की गली वार्ड नं0 27 कुन्हाड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.महावीर पुत्र चन्द्रसेन उम्र 37 वर्ष

2.रामभरोस बाई पत्नी श्री महावीर उम्र 30 वर्ष

3.दिनेश पुत्र श्री चन्द्रसेन उम्र 40 वर्ष

4.गीता बाई पत्नी दिनेश उम्र 39 वर्ष निवासीगण 1504 हाड़ौती विध्या मन्दिर की गली वार्ड नं0 27 कुन्हाड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

उपस्थिति:–

दिनांक 28/2/23

1.श्री धारा सिंह अधिवक्ता प्रार्थी।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि गैर सायल कम 1 एवं 3 सायल पुत्र है तथा गैंर सायलान कम 2 एवं 4 सायल की पुत्रधु है। सायल एवं सायल की पत्नी कैलाश बाई का रजिस्ट्री एवं पुट्टेशुदा मकान वाके–मकान 1504, हाडौती विध्या मन्दिर की गली, वार्ड नं. 27, कुन्हाड़ी तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राजस्थान– 324008 में स्थित है। गैर सायलान आये दिन सायल एवं उसकी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा, गाली–गलौच तथा मारपीट करते है तथा सायल एवं उसकी पत्नी को अपने ही मकान से बेदखल करना चाहते है। सायल के द्वारा समझाने पर मारपीट करते है तथा घर से निकालने की धमकियां देते है। गैर सायलान के द्वारा सायला एवं उसकी पत्नी का जीवन दूभर कर रहा है, तथा सायल एवं उसकी पत्नी को उक्त मकान को बैचान करने पर आये दिन दबाव बनाते है, मना करने पर गाली–गलौच, मारपीट करते है। गैर सायलान, सायल एवं उसकी पत्नी को खाना पीना आदि भी नहीं देते है और किसी प्रकार की आर्थिक सहायता करते है। सायल एव उसकी पत्नी जैसे–तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे है। लेकिन

...2/3/23...... को पेश हो।

गैर सायलान, सायल एवं उसकी पत्नी जो काफी कृद्ध है को चैन से नहीं रहने दे रहे है तथा मकान से निकल जाने एवं मकान बेचने के लिये आये दिन दबाव बना रहे है। जिसके कारण सायल एवं उसकी पत्नी गैर सायलान से काफी तंग एवं परेशान हो चुके है। सायल एवं उसकी पत्नी अपना शेष बचा जीवन शांतिपूर्वक जी सके, इसके लिये गैर सायलान को सायल एवं उसकी पत्नी के मकान से बेदखल किया जाना आवश्यक हो गया है। गैर सायलान के साथ सायल व उसकी पत्नी का रहना कतई सम्भव नहीं है. क्योंकि गैर सायलान के द्वारा सायल एवं उसकी पत्नी के साथ रोजाना गाली– गलौच, मारपीट की जाती है जिससे काफी तंग एवं परेशान हो चुके है तथा गैर सायलान से सायल एवं उसकी पत्नी को जान माल का खतरा है। अतः परिवाद पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर सायल को गैर सायलान को सायल एवं उसकी पत्नी के मकान से बेदखल किया जावे तथा सायल एवं उसकी पत्नी को गैर सायलान से भरण पोषण के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जावे जिससे की सायल एवं उसकी पत्नी अपनी बची हुई जिंदगी शांति पूर्वक जी सके तथा सायल एवं उसकी पत्नी की गैर सायलान से जान माल की सुरक्षा भी करवाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थीगण की विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से बहस में कहा गया की अप्रार्थीगण 3 व 4 द्वारा मकान खाली कर दिया है इसलिए वो अप्रार्थीगण 3 व 4 पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं एवं अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण 1 एवं 2 द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण 1 व 2 को वर्णित मकान मकान नं0 1504 हाड़ौती विध्या मन्दिर की गली, वार्ड नं0 27 कुन्हाड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण 1 व 2 को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल षुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा